म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

सुरक्षा गार्डो हेतु निविदा आमंत्रण

क्रमांक 1297/स्था/प्रशा/पविनि/2015 **दिनांक 05/02/2015**

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल द्वारा संचालित इकाइयों/कार्यालयों आदि में सुरक्षा कार्य हेतु सुरक्षा कर्मचारियों की समय–समय पर होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकृत एजेंसियों/संस्थाओं से निविदा फार्म में उल्लेखित शर्तो के अंतर्गत सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र निगम की वेब साईट (www.mpstdc.com) से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक संस्थाऐं निर्धारित निविदा प्रपत्र भरकर दिनांक 20.02.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे तक पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल में जमा कर सकते है। निविदा के साथ रू 5000/– निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि रू 1.00 लाख के डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किये जाने आवश्यक होगें। निर्धारित अवधि तक प्राप्त निविदाऐं दिनांक 20.02.2015 को सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल में खोली जायेंगी।

प्रबंध संचालक

नियम एवं शर्ते

निविदाकर्ता को निम्नलिखित नियम एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. (अ) निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के मूल्य की राशि रू 5000/– का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना है, जो वापस नही की जावेगी।

(ब) निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ रू 1.00 लाख का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराना होगा। उक्त ड्राफ्ट निविदा खुलने के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोडकर शेष निविदाकर्ता का एक माह के अन्दर रजिस्टर्ड डाक से वापिस कर दिया जावेगा।

2. उक्त दोनों ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाये जा सकते है। **ड्राफ्ट "प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड भोपाल" के पक्ष में देय होगा।**

3. सफल प्रथम निविदाकर्ता को 15 दिवस के अन्दर अनुबंध निष्पादित कर सुरक्षा कर्मचारी/श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे अन्यथा उनका अधिकार समाप्त कर दिया जावेगा, तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।

4. यदि प्रथम निविदाकर्ता द्वारा 15 दिवस की समय सीमा में अनुबंध निष्पादित कर सुरक्षा कर्मचारी उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो द्वितीय सफल निविदाकर्ता को समय दिया जावेगा तथा उनके द्वारा भी यदि अनुबंध निष्पादित कर सुरक्षा कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राशि राजसात कर ली जावेगी परन्तु यदि प्रथम निविदाकर्ता द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो द्वितीय निविदाकर्ता को उक्त ड्राफ्ट एक माह के अंदर वापिस लौटा दिया जावेगा।

5. एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदान की राशि एवं नियोक्ता अंश का भुगतान सीधे संबंधित कार्यालयों को किया जावेगा। अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन संबंधित सुरक्षा कर्मचारी एजेन्सी को ही करना होगा।

6. पर्यटन निगम द्वारा नियमानुसार सर्विस टैक्स का भुगतान संबंधित एजेन्सी को किया जावेगा तथा संबंधित एजेन्सी द्वारा टैक्स की राशि जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति निगम को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

7. निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा) समस्त दस्तावेजों सहित एक लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जावेगा तथा लिफाफे पर **"तकनीकी निविदा प्रपत्र"** अंकित किया जावे। दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा प्रपत्र रखा जाकर सील बन्द किया जावे तथा लिफाफे पर **"वित्तीय निविदा प्रपत्र"** अंकित किया जावे। उक्त दोनों लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जाकर जमा किया जावे। सभी लिफाफो पर एजेन्सी का नाम एवं पता प्रेषक के स्थान पर लिखा जावे।

8. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा :–

(1) संबंधित एजेन्सी का पंजीयन कर्मचारी भविष्य निधि, श्रम कार्यालय, ई.एस.आई. आदि में होना चाहिये तथा उनकी फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की जावेगी।

(2) सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक .....

(3) आयकर विभाग का पेन क्रमांक .....

(4) कर्मचारी भविष्य निधि की पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक .....

(5) ई.एस.आई. का प्रमाण पत्र क्रमांक .....

(6) श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक .....

(7) गृह विभाग का पंजीयन क्रमांक.....

9. विगत दो वर्षो (2012–13 एवं 2013–14) की (Balance Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे। अंतिम वर्ष 2013–2014 का टर्न ओवर 10.00 करोड अथवा इससे अधिक होना चाहिए। अंतिम वर्ष 2013–2014 का टर्न ओवर प्रमाण पत्र चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

10. विगत वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 का कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा जारी अनुपालन (कम्पलाईन्स) **प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।**

11. अनुभव प्रमाण पत्र :–

एजेन्सी द्वारा यदि किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान को सुरक्षा कर्मचारी उपलब्ध कराया गया हो तो उनके आदेश कि प्रति संलग्न की जावे तथा संबंधित विभाग से कार्यानुभव प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।

12. सुरक्षा कर्मचारी (श्रमिकों) को श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा निर्धारित मिनिमम वेजेस का भुगतान किया जावेगा, साथ ही समय–समय पर निगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में पुनरिक्षित वेजेस का निर्धारण कर स्वीकृत निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा, जो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम नही होगी।

13. सफल निविदाकर्ता को निगम की शर्तो के अनुसार रू 1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।

14. एजेन्सी द्वारा संबंधित सुरक्षा कर्मचारी के बायोडाटा संबंधी जानकारी रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति निगम को भी एक माह की समय सीमा में उपलब्ध करानी होगी।

15. एजेन्सी द्वारा सभी सुरक्षा कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक वेतन का भुगतान करना होगा तथा भुगतान की गई राशि के आधार पर, देयक तैयार कर 10 तारीख तक निगम मुख्यालय/संबंधित इकाईयों में प्रस्तुत करना होगा। जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा उसी माह के 10 कार्य दिवस में कर दी जावेगी।

16. एजेन्सी द्वारा प्रत्येक सुरक्षा कर्मचारी के पारिश्रमिक का भुगतान माह की 5 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक पारिश्रमिक का भुगतान एजेन्सी द्वारा न किये जाने पर रू 200/– प्रतिमाह प्रति व्यक्ति कि दर से एजेन्सी से दण्ड स्वरूप वसूल किया जावेगा।

17. एजेन्सी द्वारा प्रत्येक कार्यालय/ईकाई पर एक उपस्थिति पंजी रखी जावेगी। जिसके आधार पर उन्हें भुगतान किया जावेगा। उपस्थिति पंजी की छायाप्रति देयक के साथ लगाया जावेगी जो संबंधित इकाई प्रबंधक द्वारा प्रमाणित होगी, जिसके आधार पर सुरक्षा कर्मचारियों का भुगतान किया जावेगा।

18. प्राप्त निविदा पत्रों को मान्य/अमान्य करने का सम्पूर्ण अधिकार निगम के प्रबंध संचालक को होगा।

19. निविदाकर्ता एवं म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

20. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।

21. सफल निविदाकर्ता से सुरक्षा निधि के रूप में रू 10.00 लाख (दस लाख मात्र) की बैंक गारंटी ली जावेगी, जिसकी अवधि अनुबंध समाप्ति के एक वर्ष बाद तक वैद्य होगी।

22. यदि सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा निगम की चल/अचल सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाई जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।

23. सभी श्रमिकों के सी.पी.एफ./ई.एस.आई. आदि का हिसाब रखने की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी।

24. एजेन्सी द्वारा प्रत्येक श्रमिक को प्रतिमाह वेतन स्लिप अनिवार्य रूप से देना होगा।

25. यदि श्रमिक एवं नियोक्ता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व एजेन्सी का होगा। म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

26. उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मचारियों के नियोजन की पूर्ण जिम्मेदारी एजेन्सी कि होगी तथा श्रमिकों के किसी भी प्रकार के दावे, नियोजन, नियमितीकरण की जिम्मेदारी म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल की नहीं होगी।

27. एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये, सुरक्षा कर्मचारियों के संबंध में श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। श्रम नियमों के पालन न करने के फलस्वरूप यदि श्रम विभाग द्वारा कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिये संबंधित एजेन्सी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

28. सुरक्षा कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान एजेन्सी द्वारा NEFT/RTGS/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जावेगा एवं चैक/ड्राफ्ट से भुगतान उसी स्थिति में किया जावेगा जहां यह सुविधा उपलब्ध नही है। नकद भुगतान किसी भी स्थिति में नही किया जावेगा।

29. सुरक्षा कर्मचारियों को यूनीफॉर्म निविदाकर्ता संस्था/ऐजेन्सी द्वारा प्रदाय की जावेगी।

30. सुरक्षा कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश व अन्य अवकाश के दिनों में रिलीवर की व्यवस्था की जिम्मेदारी निविदाकर्त्ता संस्था/ऐजेन्सी की रहेगी।

31. निविदाकर्ता संस्था द्वारा निगम को 24 घण्टे तथा 365 दिवस सुरक्षा कर्मचारियों की सेवाऐं उपलब्ध करानी होगी।
32. निविदाकर्ता के पास तीन सितारा/ उच्च स्तर के होटल में सेवा देने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा।
33. निविदाकर्ता के पास भारत सरकार के उपक्रम या समकक्ष प्रतिष्ठान में सेवा देने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा।
34. निविदाकर्ता के पास अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु स्वयं घोषित संस्थान/ प्राईवेट संस्थान जहॉ से सुरक्षा कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया हो का संबंधित सर्टिफिकेट/ दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रस्तुत करना होगा।
35. निविदाकर्ता के पास कम से कम 5 वर्ष का सुरक्षा संबंधी सेवायें देने का अनुभव अनवार्य होगा।
36. निविदाकर्ता का पिछले 2 वर्ष का औसतन टर्नओवर 10 करोड़ होना अनिवार्य है।
37. निविदाकर्ता के पास पंजीकृत गार्डो की संख्या कम से कम 250 होना अनिवार्य है।
38. निविदाकर्ता के द्वारा शासकीय विभाग में पूरे किये गये प्रोजेक्टस की संख्या कम से कम 2 होना अनिवार्य है।
39. निविदाकर्ता द्वारा पिछले 2 वर्ष में न्यूनतम 25 लाख का एक कोन्ट्रेक्ट सफलता पूर्वक पूर्ण किया गया हो।
40. निविदाकर्ता संस्था के पास कम से कम 150 लोगो का लेबर लाइसेंस होना अनिवार्य है।
41. निविदाकर्ता संस्था के पास अन्य संस्थाओं द्वारा कम से कम 150 गार्डो का 1 सप्लाई ऑर्डर होना आवश्यक है।

नोट :– प्रदान की जाने वाली सभी जानकारी के साथ सत्यापन हेतु आवश्यक सभी दस्तावेज की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यपालिक निर्देशक

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू 5000/–

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल

तकनीकी निविदा प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता संस्था का नाम : .....

2. पता. (अ) कार्यालय : .....

.....

.....

(ब) निवास का पता : .....

.

.....

.....

3. दूरभाष क्रमांक (निवास) ..... (कार्या.) .....

मोबाईल .....

4. (अ) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..... राशि 5000/–

(ब) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..... राशि 1.00 लाख

बैंक का नाम ..... स्थान .....

5. सुरक्षा कर्मचारी (श्रमिकों) को श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा निर्धारित मिनिमम वेजेस का भुगतान किया जावेगा साथ ही समय–समय पर निगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में मिनिमम वेजेस का निर्धारण कर स्वीकृत निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा, जो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम नही होगी।

6. एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन कर्मचारी भविष्य निधि/श्रम कार्यालय/ई.एस.आई. तथा गृहविभाग में होना अनिवार्य है रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति संलग्न की जावेगी।

(i) सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक .....

(ii) आयकर विभाग का पेन क्रमांक .....

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि की पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक .....

(iv) ई.एस.आई. का प्रमाण पत्र क्रमांक .....

7. विगत दो वर्षो (2012–13 एवं 2013–14) की (Balance Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे। अंतिम वर्ष 2013–2014 से संबंधित गतिविधियों का टर्न ओवर 10.00 करोड अथवा इससे अधिक होना चाहिए। अंतिम वर्ष 2013–2014 का टर्न ओवर प्रमाण पत्र चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

8. विगत वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 का कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा जारी अनुपालन (कम्पलाईन्स) प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

9. संस्था द्वारा यदि किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग को सुरक्षा कर्मचारी/श्रमिक उपलब्ध कराया गया हो, तो उनके आदेश कि प्रति तथा संस्था कि कार्यकुशलता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

10. कम्पनी की दशा में मेमोरेण्डम Memorandum and Articles of Association व संचालको की सूची, साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी प्रलेख व साझेदारी का विवरण दिया जावे।

11. कम्पनी/संस्था द्वारा 3 सितारा या इससे उच्च श्रेणी के होट्ल्स में दी गयी सुरक्षा सेवाओं का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

12. भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान जिनमें सुरक्षा कर्मचारियों की सेवायें दी गई हैं का अनुभव।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल
वित्तीय निविदा प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड,
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता संस्था का नाम : .....
2. पता. (अ) कार्यालय : .....
.....
.....

(ब) निवास का पता : .....
.....
.....

3. दूरभाष क्रमांक (निवास) ..... (कार्या.) .....
मोबाईल .....
4. सुरक्षा कर्मचारियों का विवरण जिनकी सेवायें ली जानी हैः–
अ. सुरक्षा गार्ड, डोर मेन, गन मेन– अर्द्धकुशल श्रमिक
ब. ड्राइवर (लाइट मोटर व्हीकल लाइसेन्स धारी), सुपर वाइजर –कुशल श्रमिक
(गन चार्ज रू 1000/– प्रतिमाह अतिरिक्त)
5. अर्द्धकुशल श्रमिक/कुशल श्रमिक के लिए श्रमायुक्त/जिला अध्यक्ष द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त ESI और PFः–
अ. ESI..4.75.प्रतिशत
ब. PF..13.61..प्रतिशत (12 + 1.61 प्रतिशत)
स. **कम्पनी/संस्था/ऐजेन्सी का कमीशन/सर्विस चार्ज/रिलीविंग चार्ज, एक मुस्त जो कि निगम से लिये जाने वाला शुल्क की राशि .....प्रति व्यक्ति प्रति माह अनुबंध (समय सीमा) तक लागू रहेगा (अपरिवर्तनीय)**

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

अनुबंध पत्र का प्रारूप

यह अनुबंध आज दिनांक ..... को भोपाल में म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल जो कि कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। जिन्हें आगे प्रथम पक्षकार कहा गया है, एवं..... ....., जिन्हें आगे द्वितीय पक्षकार कहा गया है, के मध्य सुरक्षा कार्यो हेतु सुरक्षा कर्मचारी प्रदाय करने के लिये निम्न शर्तो पर अनुबंध निष्पादित किया जाता है, यह अनुबंध दिनांक ..... से प्रभावशील होगा :–

नियम एवं शर्ते :–

1. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रदाय किये गये सुरक्षा कर्मचारी के द्वारा प्रथम पक्षकार की चल/अचल सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पॅहुचाये जाने पर, नुकसान की गई सम्पत्ति की प्रतिपूर्ति द्वितीय पक्षकार द्वारा उसी माह में की जावेगी, अन्यथा प्रथम पक्षकार को अधिकार होगा कि उक्त राशि की वसूली द्वितीय पक्षकार को किये जाने वाले भुगतान से वसूल कर लें।
2. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार की मांग अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के अंदर विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा कार्यो के लिये सुरक्षा कर्मचारी (श्रमिक) उपलब्ध करायेगा तथा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी अपने पास रखेगा एवं कार्यालय के रिकार्ड हेतु एक प्रति प्रथम पक्षकार को भी उपलब्ध करायेगा।
3. यह कि उपलब्ध कराये गये सुरक्षा कर्मचारियों को पारिश्रमिक भुगतान करने की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की रहेगी। द्वितीय पक्षकार, रखे गये सुरक्षा कर्मचारियों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान प्रतिमाह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से करेगा। नकद भुगतान किसी भी श्रमिक को नहीं किया जावेगा।
4. यह कि सुरक्षा कर्मचारियों (श्रमिकों) को श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा निर्धारित मिनिमम बेजेस का भुगतान किया जावेगा साथ ही समय–समय पर निगम द्वारा विशेष परिस्थितियों में मिनिमम वेजेस का निर्धारण कर स्वीकृत निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जावेगा, जो श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से कम नही होगी।
5. यह कि सुरक्षा कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक माह कि 5 तारीख को न किये जाने पर रू 200/– प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दण्ड स्वरूप द्वितीय पक्ष से बसूल किया जावेगा।
6. यह कि पारिश्रमिक भुगतान उपरान्त द्वितीय पक्षकार द्वारा देयक भुगतान हेतु प्रत्येक माह कि 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा जिसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्षकार द्वारा 10 कार्य दिवस के अन्दर द्वितीय पक्षकार को कर दिया जावेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा सुरक्षा कर्मचारियों, के कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के नियोक्ता तथा सुरक्षा कर्मचारियों के अंशदान की राशि का भुगतान सीधे संबंधित कार्यालयों में किया जावेगा। जिसके चालन देयक के साथ

प्रस्तुत करने पर ही प्रथम पक्षकार द्वारा भुगतान किया जा सकेगा। अन्य वैधानिक प्रावधानों का भी पालन द्वितीय पक्षकार को ही करना होगा।

8. यह कि बिन्दु क्रमांक 2,3,4,5,6 एवं 7 का पालन न करने पर सुरक्षा कर्मचारियों एवं नियोक्ता के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर द्वितीय पक्षकार पूर्णतः जिम्मेदार होगा। प्रथम पक्षकार की कोई जबावदारी नहीं होगी।
9. यह कि प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार को प्रति सुरक्षा कर्मचारियों की दर से निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

(अ) जिला अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर 12 प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान + 1. 61 प्रतिशत प्रशासनिक प्रभार, एवं 4.75 प्रतिशत ESI का भुगतान किया जावेगा।

(ब) नियमानुसार सर्विस टैक्स का भुगतान किया जावेगा।

(स) द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयक की राशि पर नियमानुसार टी.डी.एस. कटौती प्रथम पक्षकार द्वारा की जावेगी जिसका प्रमाण पत्र द्वितीय पक्षकार को दिया जावेगा।

10. यह कि द्वितीय पक्षकार श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है जिसकी संबंधित प्रति पक्षकार क्रमांक एक को अनुबंध के साथ प्रदाय की जावेगी।
11. यह कि द्वितीय पक्षकार का कर्मचारी भविष्य निधि में रजिस्ट्रेशन एवं खाता होना आवश्यक है जिसकी सत्यापित प्रति प्रथम पक्षकार को अनुबंध निष्पादित करते समय प्रदाय करना होगी।
12. यह कि सुरक्षाकर्मी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये, जो अशक्त रोगी एवं आपराधिक प्रवत्ति का न हो। विशेष योग्यता या तकनीकी श्रेणी के श्रमिको के लिये प्रथम पक्षकार द्वारा आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।
13. यह कि सुरक्षाकर्मी का कार्य संतोषजनक न होने पर उनके स्थान पर द्वितीय पक्षकार द्वारा दूसरा सुरक्षाकर्मी तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
14. यह कि अनुबंध की अवधि, दिनांक ..... से आगामी **तीन (03) वर्ष** की होगी।
15. यह कि श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लगाये गये सुरक्षाकर्मी के समस्त प्रकार के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान आदि के भुगतान करने का दायित्व द्वितीय पक्षकार का ही होगा, तथा प्रथम पक्षकार का सुरक्षाकर्मी के किसी भी प्रकार के दावो एवं अन्य न्यायालयीन विवादों के संबंध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
16. यह कि सुरक्षाकर्मी को प्रदाय किये जाने वाले वेतन से संबंधित वेतन विवरण पत्रक प्रतिमाह द्वितीय पक्षकार द्वारा संबंधित सुरक्षाकर्मी के वेतन पर्ची के साथ अनिवार्य रूप से प्रथम पक्षकार को दिया जावेगा।
17. यह कि कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय से प्राप्त सी.पी.एफ. स्लिप द्वितीय पक्षकार द्वारा संबंधित सुरक्षाकर्मी को देना होगी।
18. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा सी.पी.एफ./ई.डी.एल.आई./ई.एस.आई. आदि मदो में जमा की गई राशि से संबंधित चालान एवं विवरण पत्रक की फोटोप्रति प्रतिमाह अनिवार्य रूप से प्रथम पक्षकार को दी जावेगी।

19. यह कि सुरक्षाकर्मी के नियोजन की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की ही होगी, तथा द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी के किसी भी तरह के दावे नियोजन, नियमितीकरण की जवाबदारी प्रथम पक्षकार की नहीं होगी।
20. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी के कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही के कारण निगम को हुई क्षति के लिये सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्षकार की होगी तथा हानि/क्षति/नुकसान के मूल्यांकन के अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय पक्षकार के द्वारा प्रथम पक्षकार को किया जावेगा।
21. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा लगाया गया कोई भी कर्मी कार्य के दौरान मादक पदार्थ/पेय या औषधि का सेवन नहीं करेगा और यदि ऐसा पाया जाता है तो इस कृत्य के फलस्वरूप हुआ/किया गया, कोई भी नुकसान द्वितीय पक्षकार से वसूली योग्य होगी।
22. यह कि इस अनुबंध की शर्तो से संबंधित एवं अनुबंध की अवधि में अथवा बाद में यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो इसी स्थिति में विवाद का अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा किया जावेगा, जो द्वितीय पक्षकार को स्वीकार होगा। अस्वीकारोक्ति की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला भोपाल होगा।
23. यह कि उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे–फोटो, परिचय पत्र, स्थाई/स्थानीय पता विवरण, पुलिस परीक्षण, आदि की जानकारी द्वितीय पक्षकार द्वारा संधारित की जाएगी, इसकी एक प्रति प्रथम पक्षकार को भी देनी होगी।
24. **.....,** द्वारा रू 10.00 लाख (दस लाख मात्र) की धरोहर राशि के रूप में अनुबंध के समय बैंक गारंटी देना होगी।
25. यह कि यह अनुबंध स्थाई व्यवस्था होने तक प्रभावशील रहेगा अथवा प्रथम पक्षकार या द्वितीय पक्षकार द्वारा तीन (03) माह का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा।
26. यह कि द्वितीय पक्षकार का कार्य संतोष जनक न पाये जाने पर प्रथम पक्षकार आवश्यक कारणों का उल्लेख करते हुए एक माह की सूचना पर अनुबंध निरस्त कर देगा।
27. **यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा अनुबंध अवधि में वृद्धि की जा सकती है।**
28. अनुबंध समाप्त होने पर द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करावेगा। जानकारी उपलब्ध न कराये जाने पर गारन्टी राशि एवं सुरक्षा निधि की राशि को राजसात किया जावेगा।
29. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रत्येक इकाई/कार्यालय में एक उपस्थिति पंजी रखी जावेगी। उपस्थिति पंजी की छायाप्रति देयक के साथ प्रस्तुत की जावेगी, उक्त छायाप्रति संबंधित इकाई प्रबंधक द्वारा सत्यापित की जावेगी।
30. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी के संबंध में श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। श्रम नियमों के पालन न करने के फलस्वरूप यदि श्रम

विभाग द्वारा कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके लिये द्वितीय पक्षकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

31. यह कि सुरक्षाकर्मी के पारिश्रमिक का भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा NEFT/RTGS/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जावेगा एवं चैक/ड्राफ्ट से भुगतान उसी स्थिति में किया जावेगा जहां यह सुविधा उपलब्ध नही है। नकद भुगतान किसी भी स्थिति में नही किया जावेगा।
32. सुरक्षा कर्मचारियों को यूनीफॉर्म निविदाकर्ता संस्था/ऐजेन्सी द्वारा प्रदाय की जावेगी।
33. सुरक्षा कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश व अन्य अवकाश के दिनों में रिलीवर की व्यवस्था की जिम्मेदारी निविदाकर्त्ता संस्था/ऐजेन्सी की रहेगी।
34. निविदाकर्त्ता संस्था द्वारा निगम को 24 घण्टे तथा 365 दिवस सुरक्षा कर्मचारियों की सेवाऐं उपलब्ध करानी होगी।

प्रथम पक्षकार **द्वितीय पक्षकार**

गवाह :– **गवाह :–**

1. ..... **1.** .....

2. ..... **2.** .....